न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं.–05/2025
जीसीएमएस सख्या – (2025/37)

निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण:–

1. मालाराम वल्द स्व. अणदाराम कौम मेघवाल उम्र 65 वर्ष निवासी गांव धुंधाडा, तहसील लुणी, जिला जोधपुर।
2. जगाराम वल्द स्व. अणदाराम कौम मेघवाल उम्र 60 वर्ष निवासी गांव धुंधाडा, तहसील लुणी, जिला जोधपुर

बनाम

गैर निगरानीकर्तागण/अप्रार्थीगण:–

1. ओमप्रकाश वल्द स्व. श्री रतनाराम, कौम मेघवाल निवासी गांव धुंधाडा, तहसील लुणी, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत धुंधाडा, पंचायत समिति, लूणी, जिला जोधपुर जरिये ग्राम विकास अधिकारी।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत धुंधाडा दिनांक 29.01.1962 जिसके द्वारा मिसल सं. 48/61–62 दायरा दिनांक 08.08.1961 के आधार पर धारा 266 राजस्थान पंचायत अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत धुंधाडा के आबादी क्षेत्र में पट्टा सं. 12 प्रत्यर्थी के पिता स्व. रतनाराम एवं दादा स्व. अणदाराम के हक में जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री रामसुख शर्मा, श्री राकेश शर्मा (प्रार्थीगण की ओर से)।
2. अधिवक्ता श्री हनवंत सिंह बालोत, पृथ्वीराज सिंह बालोत (अप्रार्थी सं. 01 की ओर से)

निर्णय **दिनांक 21.05.2026**

1. उपर्युक्त निगरानी राजस्थान पंचायतीराज एक्ट 1994 की धारा 97 के तहत पट्टा सं. 12 जो ग्राम पंचायत धुंधाडा द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पिता स्व. रतनाराम एवं दादा स्व.

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अणदाराम के हक मिसल सं. 48/61–62 दायर दिनांक 08.08.1961 में पट्टा सं. 12 दिनांक 29.01.1962 जारी किया गया, को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 17.09.2021 को पेश की गई है।

2. निगरानी प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 01 की ओर से अधिवक्ता श्री हनवंत सिंह बालोत व अन्य ने वकालतनामा पेश किया।

3. निगरानी मीमों में अंकित अभिकथनों अनुसार, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का एक रहवासीय प्लॉट मकान गांव धुंधाडा के आबादी क्षेत्र में स्थित है, जिस पर रहवास एवं कब्जा है तथा पक्के मकान बने हुए है। प्रार्थीगण का पैतृक अलग मकान गांव धुंधाडा में है, जिसमें प्रार्थीगण के पिता एवं प्रत्यर्थी के पिता रतनाराम रहते थे। प्रत्यर्थी के पिता एवं प्रार्थीगण के पिता का भी स्वर्गवास हो गया। आज पैतृक मकान में प्रत्यर्थी रहता है, जो मकान पक्का है, जो प्रार्थीगण के पिता ने अपने जीवन काल में बनाया। प्रार्थीगण का रहवासीय मकान एवं पैतृक मकान दोनों अलग–अलग संपतियां है। प्रार्थीगण जिस मकान में रहते है, उसके दो भाग किये हुए है, एक भाग में प्रार्थी 1 व दूसरे भाग में प्रार्थी 2 का परिवार सहित निवास है। उक्त प्लॉट पर प्रार्थी के पिता एंव रतनाराम का कभी कब्जा एवं निवास नहीं रहा। प्रत्यर्थी के पिता का स्वर्गवास लगभग 2 वर्ष पहले हो गया।

प्रत्यर्थी ने प्रार्थीगण के मकान का पट्टा स्व. अणदाराम एवं स्व. रतनाराम के हक में होना बताकर बंटवाडा का दावा प्रार्थीगण के खिलाफ सिविल न्यायालय में पेश किया एवं पट्टे की फोटोकॉपी दावे के साथ पेश की। प्रार्थीगण को पट्टे की जानकारी होते ही ग्राम पंचायत से पट्टे की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत ने दिनांक 15.07.2021 को यह लिखकर दे दिया कि मिसल सं. 48/61–62 के आधार पर दिनांक 29.01.1962 को अणदाराम पुत्र अचलाराम व रतनाराम पुत्र अणदाराम मेघवाल निवासी गांव धुंधाडा के हक में पट्टा जारी करने का कोई रेकर्ड पंचायत में उपलब्ध नहीं है। उक्त जानकारी होते ही बिना किसी देरी के प्रार्थीगण ने यह निगरानी पेश की है। यह स्पष्ट तौर पर साबित है कि ग्राम पंचायत ने मिसल सं. 48/61–62 तैयार नहीं की, न ही दिनांक 29.01.1962 को कोई पट्टा जारी किया।

अणदाराम एवं रतनाराम के हक में पट्टा जारी करने का कोई सबूत/रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। पट्टा फर्जी एवं कूटरचित तैयार किया गया है। पट्टा अगर अणदाराम एवं रतनाराम के हक में जारी किया होता तो असल पट्टा अणदाराम एवं रतनाराम के पास अवश्य होता। कूटरचना साबित नहीं हो, इस वजह से असल पट्टा

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

प्रार्थीगण के कब्जे में होना बता दिया। पट्टे पर सरपंच के हस्ताक्षर भी सरपंच के स्वर्गवास के बाद फर्जी किये गये है। तथाकथित पट्टा प्रत्यर्थी सं. 1 के दादा एवं पिता के हक में ग्राम पंचायत ने जारी नहीं किया है। अतः पट्टा खारिज निरस्त फरमाया जावे।

4. प्रस्तुत निगरानी पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 01 के विद्वान अभिभाषक गण की बहस सुनी गई।

5. निगरानीकर्तागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश शर्मा ने निगरानी में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि श्री अणदाराम के तीन पुत्र मालाराम, जगाराम व रतनाराम हुए। अप्रार्थी का पिता रतनाराम अलग रहता था। रतनाराम फौत हो चुका है, अप्रार्थी ओमप्रकाश इसका पुत्र है। इसने मालाराम, जगाराम की निवासरत मकान की संपति पर कब्जा एवं बंटवारा का दावा सिविल कोर्ट में किया। क्योंकि दादा एवं पिता के हिस्से का अप्रार्थी ओमप्रकाश द्वारा दावा किया जा रहा है। प्रार्थीगण मालाराम की जायदाद के वर्ष 1999 के बिजली/पानी के बिल, राशनकार्ड साक्ष्य के रूप में पेश किये जा रहे है। प्रार्थीगण बिना विवादित संपति/मकान में निवासरत है। अप्रार्थी के सिविल दावा करने पर प्रार्थीगण को उक्त बाबत पता चला। ग्राम विकास अधिकारी धुंधाडा ने पट्टा मिसल, रिकॉर्ड उपलब्ध होने से इन्कार किया है। सिविल न्यायालय में ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाने बाबत प्रार्थना पत्र भी अप्रार्थी की ओर से पेश किया, जो खारिज हो चुका है। पट्टा ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में नहीं है। पट्टे का अस्तित्व नहीं है। अप्रार्थी द्वारा पेश फोटोकॉपी सिविल कोर्ट में पेश की गई है, जो कि पंचायत द्वारा जारी नहीं है। फर्जी दस्तावेज होने से पट्टा खारिज किया जावे। पंचायत निगरानी में म्याद कानून लागू नहीं है।

6. अप्रार्थी सं. 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री हनवंत सिंह बालोत ने निगरानी में धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र का जवाब एवं निगरानी का जवाब मय शपथ पत्र पेश किया तथा निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता की उक्त बहस का प्रत्युत्तर देते हुए कथन किया कि उक्त आक्षेपित पट्टा के संबंध में 60 वर्ष बाद निगरानी पेश की गई है, जिसमें धारा 5 म्याद कानून को भी देखा जाना चाहिए। निगरानीधीन पट्टे को निरस्त करने हेतु निगरानी को प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करने का कोई भी कानून व वास्तविक आधार मौजूद नहीं है। प्रार्थी ने निगरानी में देरी का कोई कारण नहीं बताया है, जबकि प्रार्थीगण विवादित भूमि पर अप्रार्थी के साथ परिसर पर काबिज है, इसलिए पट्टे की जानकारी नहीं होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

इसी प्रकार उक्त निगरानी बिना किसी तार्किक आधार एवं बिना किसी मजबूत आधार के दायर की गई है। मूल पट्टा प्रार्थीगण के पास है। निगरानीकार सं. 02 जगाराम पुत्र अणदाराम को ग्राम पंचायत द्वारा एक पत्र दिनांक 15.07.2021 को जारी किया गया, जिसके अनुसार उक्त रिकॉर्ड पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि पंचायत ने यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि उपरोक्त वर्णित पत्रावली/मिसल एवं पट्टा सं. 12 पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया है, इस आधार पर यह निगरानी पोषणीय नहीं है। इसी प्रकार उक्त पटटे के अभिलेख की प्रमाणित प्रति चाहे जाने के संबंध में एक पत्र मेरे पक्ष में ग्राम पंचायत धुंधाडा द्वारा दिनांक 25.07.2024 को जारी किया गया तथा इस न्यायालय में भी ग्राम पंचायत की ओर से पट्टे के अभिलेख के संबंध में पत्र दिनांक 22.04.2026 भी पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें सभी आधार ग्राम पंचायत की ओर से समान है। अब ग्राम पंचायत में पट्टा के रिकॉर्ड की उपलब्धता नहीं होना, निगरानी में पट्टे को खारिज किये जाने का आधार नहीं हो सकता। इस प्रकार दो तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने अपने पत्र में स्वीकार किया है कि पट्टा ग्राम पंचायत ने जारी किया है तथा ग्राम पंचायत में पट्टा एंव उससे संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। पट्टाधारक अप्रार्थी सं. 1 ने पट्टे की फोटोप्रति पेश की है और वह पूर्णतः आश्वस्त है कि आक्षेपित पट्टा ग्राम पंचायत धुंधाडा द्वारा ही जारी किया है। उक्त पट्टे के आधार पर अप्रार्थी सं. 01 ने एक सिविल दावा बाबत बंटवाडा, कब्जा दिलाने व स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सं. 6, जोधपुर में दायर किया गया है, जिसमें स्थगन आदेश पारित किया हुआ है, जो आदिनांक तक प्रभावी है। अतः निगरानी को खारिज फरमावे।

7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन कर अध्ययन किया। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 01 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रस्तुत कथनों व तर्कों पर मनन किया। संबंधित विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया।

   (a) प्रार्थीगण ने यह निगरानी ग्राम पंचायत कोर्ट, धुंधाडा, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पिता स्व. रतनाराम एवं दादा स्व. अणदाराम के हक मिसल सं. 48/61–62 दायर दिनांक 08.08.1961 में पट्टा सं. 12 दिनांक 29.01.1962 जारी किया गया, को अपास्त करने हेतु पेश की है तथा निगरानी के साथ उक्त विवरण के पट्टे की फोटोप्रति पेश की है, जिसके अनुसार आक्षेपित पट्टा नियम 266 राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत सामान्य नियम 1961 के अंतर्गत पंचायत के संकल्प सं..... दिनांक 08.10.1961 अनुसार जारी किया है जिस पर सरपंच के हस्ताक्षर है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(b)प्रस्तुत निगरानी में ग्राम पंचायत धुंधाडा से आक्षेपित पट्टा से संबंधित मिसल सं. 48/61–62 दायर दिनांक 08.08.1961, पट्टा सं. 12 जारी दिनांक 29.01.1962 की पट्टा बुक, मिसल व ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही रजिस्टर वर्ष 1961–62 से संबंधित अभिलेख को तलब किया गया।

उक्त के प्रत्युत्तर में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अनुसार ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत धुंधाडा, पं.स. लूणी ने अपने पत्र दिनांक 22.04.2026 से इस न्यायालय को सूचित किया है कि ग्राम पंचायत धुंधाडा से मूल रिकॉर्ड पट्टा सं. 12 दिनांक 29.01.1962 रतनाराम पुत्र अणदाराम के पक्ष में जारी किया गया था, जिसका मूल रिकॉर्ड पट्टा बुक, मिसल, कार्यवाही रजिस्टर वर्ष 1961–62 ग्राम पंचायत धुंधाडा रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है।

(c) ग्राम पंचायत ने सूचित किया है कि ग्राम पंचायत में आक्षेपित पट्टे का कोई मूल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण ने भी मूल पट्टा पेश नहीं किया है। फोटोकॉपी साक्ष्य में ग्रहण योग्य ही नहीं है। ग्राम पंचायत, धुधांडा ने अपने पत्र दिनांक 22.04.2026 में सूचित किया है कि ग्राम पंचायत में न तो मिसल उपलब्ध है, न ही पट्टा बुक है, न ही बैठक कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त न ही राशि जमा कराने के संबंध में रसीद, केशबुक प्रविष्टि इत्यादि कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है तथा न ही पंचायत समिति से प्रमाणित प्रति पेश की है। इस प्रकार इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि आक्षेपित पट्टा जारी करने का कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत रूप से संधारित नहीं किया गया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा नियमों में दी गई प्रक्रिया का पालन करके आक्षेपित पट्टा अप्रार्थी सं. 1 के पिता स्व. रतनाराम एवं दादा स्व. अणदाराम के पक्ष में जारी नहीं किया है। आक्षेपित पट्टा या तो जाली है या फिर तत्कालीन सरपंच ने अपने निजी स्तर पर ही पट्टा जारी किया है, जिसे विधि अनुरूप जारी पट्टा की श्रेणी में नहीं माना जा सकता।

(d) आक्षेपित पट्टा पुराने राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के तहत राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के अंतर्गत जारी किये जाने का अपील मीमों में उल्लेख किया है, जिनमें नियम 256 से 268 तक में ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में पट्टे जारी करने की विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसमें आवेदन प्राप्त करना, पत्रावली संधारित करना, पट्टा बही रखना, कमेटी द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करना, मौका का नक्शा तैयार करना, सार्वजनिक आक्षेप प्राप्त करना, ग्राम पचांयत की बैठक में प्रस्ताव पारित करना, निर्धारित प्रपत्र में पट्टा जारी करना शामिल है। उक्तानुसार

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

प्रकिया अपनाए बिना आबादी भूमि में पट्टा जारी नहीं किया जा सकता तथा हस्तगत प्रकरण में उक्तानुसार प्रकिया अपनाकर आक्षेपित पट्टा जारी करने का पूर्णतः अभाव पाया गया है।

(e) उक्त विधिक प्रावधानों की रोशनी में, हस्तगत निगरानी में आक्षेपित पट्टो का परीक्षण करने से निष्कर्ष निकलता है कि ग्राम पंचायत ने विधिक प्रकिया अपनाकर आक्षेपित पट्टे जारी ही नहीं किये है तथा प्रकिया से संबंधित किसी भी प्रकार का अभिलेख ग्राम पंचायत धुंधाडा में संधारित ही नहीं किया गया है, इसलिए रिकॉर्ड के अभाव में आक्षेपित पट्टों की वैधानिकता, सत्यता व औचित्यता का परीक्षण धारा 97 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्न न्यायिक विनिश्चयों में यह प्रतिपादित किया है कि आक्षेपित पट्टों से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आक्षेपित पट्टा निगरानी के माध्यम से खारिज किया जा सकता है तथा निगरानी को ग्रहण करने में कोई म्याद भी निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि जारी पट्टे प्रारंभ से ही अवैध व शून्य है–

- 2000 AIR (Raj.) - Chiman lal VS Rajasthan State
- 2000 AIHC 2648 -Devi lal VS Rajasthan State
- 2000 AIHC 2574 -Kamlesh VS Rajasthan State
- (2009)4 CDR 1962 (Raj.) 1962 (DB) (Raj.) Bhiyaram VS Addl. Collector Barmer
- 1999 DNJ 672 -Narayan lal VS State
- (2018)3 RLW 2325-Ghewar Chand VS Rajasthan State
- SBCWP No. 8612/2008 (D/d 23.10.2008)
- SBCWP No. 9126/2016 (D/d 12.08.2016)
- SBCWP No. 8148/2012 (Shanti Devi VS State) (D/d 25.11.2016)
- 2013(1) WLC (Raj) 768 Para 8 (Nagarmal VS ADM Sikar)
- SBCWP No. 8211/2012 (Lokesh VS Panchayat Samiti Bhadesar) (D/d 03.02.2022)

8. उपरोक्तानुसार विवेचन एवं विश्लेषण से इस न्यायालय की सुविचारित राय में आक्षेपित पट्टा सं. 12 दिनांक 29.01.1962 अप्रार्थी सं. 1 के पिता स्व. रतनाराम एवं दादा स्व. अणदाराम के पक्ष में गलत व विधि प्रावधानों के विपरीत जारी किया है (यदि जारी

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

हुआ है तो) तथा वह अवैध व शून्य है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी आक्षेपित पट्टा व इस सबंध में पारित संकल्प नियमों के विपरीत होने से खारिज योग्य है तथा यह निगरानी अंतर्गत धारा 97 स्वीकार योग्य है।

आदेश

9. उपरोक्त निष्कर्षानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत कोर्ट, धुंधाडा द्वारा मिसल सं. 48/61–62 में जारी पट्टा सं. 12 दिनांक 29.01.1962, संकल्प सं..... दिनांक 08.10.1961 से बहक श्री अणदाराम पुत्र श्री अचलाराम व रतनाराम पुत्र अणदाराम जाति मेगवाल निवासी धुंधाडा बनाप 1166.7 वर्गगज खारिज किया जाता है तथा इसे अवैध व शून्य करार दिया जाता है तथा इस संबंध में उक्त पट्टे की सीमा तक पारित समस्त प्रस्ताव (यदि पारित हो तो) खारिज किये जाते है।
10. निगरानीकार को इस पट्टे के निरस्तीकरण से कोई अधिकार सृजित नहीं होंगें। उसे अपने साक्ष्य/सबूत से अपना क्लेम साबित करना होगा।
11. निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत धुंधाडा, पं. स. लूणी को उनके पत्र दिनांक 22.04.2026 के संदर्भ में अभिलेख संधारण हेतु भेजी जावे।
12. अन्य लंबित समस्त प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) एतद्द्वारा निस्तारित किये जाते है।
13. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 21.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर